## GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VI/96

No. PC-VI/2009/I/RSRP/2 Pt.II

RBE No. 62 /2009.

dated. 2 - 04 - 2009.

The GMs/CAO(R), All Indian Railways & Production Units. (As per mailing list)

Sub:- Payment of second installment of arrears on account of implementation of Sixth Central Pay Commission's recommendations —clarification regarding.

Please refer sub-para (v) of para 3 of Board's letter no. PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11-09-2008 (RBE No. 108/2008) wherein it was clarified that orders in regard to the payment of the second installment of arrears will be issued separately. In this regard, it is further clarified that the second installment of arrears should only be paid after specific orders in this regard are issued by Ministry of Railways/Railway Board.

him

(Koshy Thomas) Joint Director, Pay Commission- II Railway Board

No. PC-VI/2009/I/RSRP/2 Pt.II

dated. 9 -05-2009.

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.

For Financial Commissioner, Railways

## भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी.सी.-VI/96

आर बी ई सं. 62/2009

सं. पी सी-VI/2009/I/आर एस आर पी/2 भाग-II

नई दिल्ली, दि. १.4.2009

महाप्रबंधक/मु.प्र.अ (आर), सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, (डाक सूची के अनुसार)

> विषय:- छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के अनुसरण में बकाया राशि की द्वितीय किश्त के भुगतान के संबंध में ।

कृपया बोर्ड के पत्र संख्या PC-VI/2008/I/RSRP/1 दिनांक 11.9.2008 (आर बी ई सं. 108/2008) के पैरा 3 के उप पैरा (v) का अवलोकन करें जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि बकाया राशि की द्वितीय किश्त (60%) के भुगतान के संबंध में आदेश अलग से जारी किये जायेंगे | इस संबंध में यह पुन: स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त बकाया राशि की द्वितीय किश्त (60%) का भुगतान रेल मंत्रालय/रेलवे बोर्ड द्वारा विशिष्ट आदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही किया जाये |

क्रेंद्रते धर्मक (कोशी थॉमस) संयुक्त निदेशक, वेतन आयोग-II